

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)

इतिहास	 व्यापक फसल बीमा योजना (सीसीआइएस): 1985-99 राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS): रबी1999-2000 से खरीफ 2013 में शुरू हुई (लेकिन कुछ राज्यों को रबी 2015-16 तक जारी रखने की अनुमित दी गई) संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना: रबी 2010-11 शुरू पायलट मौसम आधारित फसल बीमा योजना (डब्ल्यूबीसीआईएस): 2007-08 शुरू पायलट नारियल पाम बीमा योजना (सीपीआईएस): 2009 मौजूदा NAIS, MNAIS, WBCIS और सीपीआईएस को एक केंद्रीय क्षेत्र योजना "राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम (RFBK) के तहत विलय कर दिया गया था । एनसीआईपी की शुरुआत रबी 2013-14 से हुई थी। एनएसआईपी/एनएएस की हाल ही में समीक्षा की गई है और खरीफ 2016 के मौसम से कार्यान्वयन के लिए एमएनएआईएस/एनआईएस के स्थान पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) नाम से एक नई
घटनार्यें वेब पोर्टल	योजना को मंजूरी दी गई है। घोषणा की गई: 18 फ़रवरी 2016 चालू की गई 01.04.2016 राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (www.pmfby.gov.in)



Online Learning Platform

www.learnizy.in

जोखिम कवरेज	 इस योजना के तहत मूल आवरण में खड़ी फसल (कटाई से बुआई तक) को उपज के नुकसान का खतरा शामिल है। सूखा, शुष्क मंत्र, बाढ़, जलभराव, व्यापक फैलाव कीट और रोग हमला, भूस्खलन, बिजली, तूफान, ओलावृष्टि और चक्रवात के कारण प्राकृतिक आग जैसे गैर-रोके
	जोखिमों के कारण क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण के आधार पर उपज के नुकसान को कवर करने के लिए यह व्यापक जोखिम बीमा प्रदान किया जाता है।
ऐड-ऑन रिस्क कवरेज (राज्य सरकार की पसंद के आधार पर)	 बुवाई/पौधरोपण/अंकुरण जोखिम को रोकनी। मध्य मौसम विपरीत परिस्थितियों फसल के बाद नुकसान स्थानीयकृत आपदाएं जंगली जानवरों द्वारा हमला
अनिवार्य दस्तावेज	आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भू-अभिलेख/िकरायेदारी समझौता, और स्व-घोषणा प्रमाण पत्र
बीमा कंपनियां	कुल: बीमा कंपनियों को 18 टेंडर का प्रदान अनिवार्य रूप से 3 वर्ष के लिए होगा।
पीएमएफबीवाई के तहत कवर किए गए पोस्ट-हार्वेस्ट नुकसान	 कटाई की तारीख से 14 दिन ओलावृष्टि, चक्रवात, चक्रवाती बारिश, बेमौसम बारिश
दावा ट्रांसफर मोड	डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर (डीबीटी)
ब्याज दरें	बीमा कंपनी को सेटलमेंट क्लेम में देरी के लिए प्रतिवर्ष 12% ब्याज दर का भुगतान करना पड़ता है।
प्रीमियम सिब्सिडी शेयिरंग पैटर्न	 केंद्र और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच- 90:10 शेष राज्य- 50:50 किसानों की हिस्सेदारी- 4,855 करोड़
2018-19 के दौरान प्रीमियम सब्सिडी का उपयोग किया गया	 जीओआई की हिस्सेदारी- 11,909 करोड़ राज्य की हिस्सेदारी- 12055 करोड़ ग्रॉस प्रीमियम- 28820 करोड़